29-10-2021

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी कपूराराम माली पुत्र हंसाराम माली, जाति– माली, निवासी– सादुलपुरा कॉलोनी, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, अर्बुदा दूध डेयरी एण्ड जनरल स्टोर, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, कल्पतरु होटल, सिरोही, जिला– सिरोही ने इस न्यायालय में दिनांक 22.10.2021 को लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 09.12.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जिस पापड (मधु ब्राण्ड) का नमूना जांच के लिये लिया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है। यह कि यह पापड (मधु) में मेरे घरेलु उपयोग के लिये लाया था लेकिन कोरोना में दुकान हेतु सप्लाई नही मिलने के कारण और ग्राहकों द्वारा मांगने पर मैं घर से बचे हुए पापड दुकान पर बेचने के लिये लाया था। बिल मेरे नाम से ही आया था, मेरी फर्म के नाम से बिल नही है। मैनें बिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मांगने पर दे दिया था। मै एक छोटा दुकानदार हूॅ। मैं मेरी गलती/जुर्म स्वीकार करता हूॅ, भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नही करुंगा, इसलिये मुझे इस मुकदमें से मुक्त किया जावे।

प्रकरण में नियत दिनांक 22.10.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी कपुराराम द्वारा दिनांक 22.10.2021 को उक्तानुसार लिखित जवाब प्रस्तुत कर गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 22.10.2020 को ही प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी कपुराराम ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना करने का अनुरोध किया।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक

......लगातार

...ना मजिस्ट्रेट
...ही-307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:56:01 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No. 43/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए
	09.12.2020 को समय 3.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म अर्बुदा दूध डेयरी एण्ड जनरल स्टोर, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, कल्पतरु होटल, सिरिोही, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी कपुराराम माली पुत्र हंसाराम माली, जाति– माली, निवासी– सादुलपुरा कॉलोनी, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ पापड (मधु ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ पापड (मधु ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता कपुराराम को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान की आलमारी की रैक बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ पापड (मधु ब्राण्ड) के 6x500 ग्राम पैक्ड पाउचेज में से पापड (मधु ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 ग्राम) को जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 800/– (रुपये आठ सौ मात्र) विक्रेता कपुराराम को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1317, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पापड (मधु ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना पाउचेज पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों खरीदशुदा पापड (मधु ब्राण्ड) को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से [illegible] लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 10.12.2020 को नमूनें का एक भाग [illegible] लिफाफा श्री दीपक जैलिया, [illegible] कार्यालय मुख्य चिकित्सा .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:36:01 IST
Reason: SelfAttested

Al
[illegible] मजिस्ट्रेट
[illegible] 307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No. 43/2021	नम्बर व तारिख हुकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अर्बुदा दूध डेयरी एण्ड जनरल स्टोर, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता कपुराराम से खाद्य पदार्थ पापड (मधु ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पापड (मधु ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1317 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./1051/Act/2020/26 दिनांक 06.1.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ पापड (मधु ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी कपुराराम ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ पापड (मधु ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी कपुराराम माली पुत्र हंसाराम माली, जाति– माली, निवासी– सादुलपुरा कॉलोनी, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, अर्बुदा दूध डेयरी एण्ड जनरल स्टोर, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, कल्पतरु होटल, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी कपुराराम को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय [illegible] प्रति [illegible] को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जु[illegible] [illegible]8.11.2021 को पेश हो।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:56:01 IST
Reason: SelfAttested